उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 31/2025/ 994/तीस-3-2025
लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td>1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम-4 का प्रतिस्थापन</td><td>उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-
<table>
<tr><th colspan="2">स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</th><th>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr><td>सेवा की सदस्य संख्या</td><td>4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा अवधारित की जाय।
4. (2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगीः-
<table>
<tr><th>पद का नाम</th><th>पदों की संख्या</th></tr>
<tr><td>सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)</td><td>124</td></tr>
</table></td><td>4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा अवधारित की जाय।
(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगीः-
<table>
<tr><th>पद का नाम</th><th>पदों की संख्या</th></tr>
<tr><td>मोटर यान निरीक्षक</td><td>124</td></tr>
</table></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>परन्तु यह कि,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।
टिप्पणी:- सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) का पद शासनादेश संख्या-1035/ तीस- 3-11-11जीई/11, दिनांक 03 मई, 2011 के द्वारा सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद में संविलीन कर दिया गया है।</td><td>परन्तु यह कि,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसे वह उचित समझें।</td></tr>
<tr><td>नियम-5 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="3">उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-
<table>
<tr><td colspan="2">स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td colspan="2">विद्यमान नियम</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>भर्ती का स्रोत</td><td>5. सेवा में सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।</td><td>5. सेवा में मोटर यान निरीक्षक के पद पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>नियम-8 का</td><td colspan="3">उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिस्थापन		स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
		विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	शैक्षिक अर्हता	8. सेवा में सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और (2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या (दो) मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में राज्य प्राविधिक परिषद द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या (तीन) उपर्युक्त विधा/ शाखाओं में से किसी में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित कोई अर्हता, और (3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त हल्की मोटरगाडियों, भारी माल गाडियों और भारी यात्री मोटरगाडियों दोनों का	8. सेवा में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया और (2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या (दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा या (तीन) उपर्युक्त में से किसी भी शाखा में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता, और (3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त हल्की मोटरगाडियों, भारी माल गाडियों और भारी यात्री मोटरगाडियों दोनों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव और (4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल गाडियों और भारी यात्री मोटरगाडियों चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो। (5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिये।	वर्ष का कार्य करने का अनुभव और (4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल गाडियों और भारी यात्री मोटरगाडियों चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो। (5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिये।

नियम-18 का प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2
विद्यमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति	18 (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों नियुक्तियां करेगाः परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो 31 अक्टूबर, 1998को या इसके पूर्व संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात था और उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन)	18 (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों नियुक्ति करेगाः

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		नियमावली, 1999 के प्रारम्भ के दिनाँक को उक्त पद पर कार्यरत हो और पद के लिए नियम 8 में विहित अर्हताएँ रखता हो, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से सीधी भर्ती के कोटा में उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा।	(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा।

नियम- 22 का प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान नियम-22 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2
विद्यमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वेतन मान	22 (1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए। (2) उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत दिये गये हैं:-	22 (1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत दिये गये हैं:-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		पद का नाम	वेतनमान			पद का नाम	वेतनमान	
			वेतन बैण्ड का नाम	तत्सद्श वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश ग्रेड-वेतन (रू0)		वेतन में मैट्रिक्स लेवल	वेतनमान (रू0)
		सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600/-	मोटर यान निरीक्षक	लेवल-7	रू0 44900-1,42,400

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-31/2025/994(1)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3, कक्ष संख्या-323, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

संख्या-31/2025/994(2)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी (स्वत्रंत प्रभार), परिवहन विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक/वित्त/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-861/01/रूल्स/एस-9/2024 - 25, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के अनुक्रम में।

(6) समस्त उप परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।

(7) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।

(8) समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।

(9) समस्त मोटर यान निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TRANSPORT SECTION – 3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 31/2025/ 994/XXX-3-2025 dated 22 April, 2025

NOTIFICATION
Miscellaneous

No. 31/2025/ 994 /XXX-3-2025
Lucknow :: Dated :: 22 April, 2025

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules 1980 :

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT (SUBORDINATE) TECHNICAL SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2025

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="2">1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service (Fifth Amendment) Rules, 2025
(2) They shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td>Subtitution of Rule 4</td><td colspan="2">In the Uttar pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules 1980 hereinafter referred as the said rules, for existing rule-4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>Column-1
Existing rule</td><td>Column-2
Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td>Strength of the service</td><td>4.(1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :
<table><tr><td>Name of post</td><td>Number of posts</td></tr><tr><td>Regional Inspector

(Technical)</td><td>124</td></tr></table>
Provided that:-</td><td>4.(1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :
<table><tr><td>Name of post</td><td>Number of posts</td></tr><tr><td>Motor Vehicle Inspector</td><td>124</td></tr></table>
Provided that: -</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant thereby post, without entitling any person to compensation, or (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper. Note - The post of Assistant Regional Inspector (Technical) has been merged in the post of Regional Inspector (Technical) vide Government Order No. 1035/Thirty-3-11-11GE/11, Dated May 03, 2011.	(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation ; or (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.
Subtitution of Rule 5	In the said rules, for existing rule-5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-	
	Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
Source of Recruitment	5. Recruitment to the post of **Regional Inspector (Technical)** in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.	5. Recruitment to the post of **Motor Vehicle Inspector** in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.
Subtitution of Rule 8	In the said rules, for existing rule-8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-	
	Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
Academic Qualification	8. A candidate for direct recruitment to the post of **Regional Inspector (Technical)** in the service must possess the following qualifications: (1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, UttarPradesh or examination recognized by the Government asequivalent thereto; and (2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or (ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or	8. A candidate for direct recruitment to the post of **Motor Vehicle Inspector** in the service must possess the following qualifications: (1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government as equivalent thereto; and (2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or (ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and (3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and dieselengine; and (4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles. (5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.	(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and (3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and (4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles. (5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.
Subtitution of Rule 18	In the said rules, for existing rule-18 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-	
	Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
Appointment	18.(1)The appointing authority shall make appointment by taking the names candidates in of the order in which they stand in the list prepared under rules 15: Provided that person who a was posted on the post of **Regional Inspector (Technical)** deputation on on or before October 31, 1998 and is working on the said post in the service on the date of commencement of the Uttar Pradesh Transport (subordinate) Technical Service(Third Amendment) Rules, possesses 1999 qualifications and the prescribed for the post In rule 8, shall be deemed to have been substantively appointed on the said post from the date of such commencement in the quota for direct recruitment. (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.	18.(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 15: (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<table>
<tr><td>Subtitution of Rule 22</td><td colspan="2">In the said rules, for existing rule-22 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>Column-1
Existing rule</td><td>Column-2
Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td>Scales of pay</td><td>22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may bedetermined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of The Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service (Fourth Amendment) Rules, 2014 is given as follows:

<table>
<tr><td rowspan="2">Name of post</td><td colspan="3">Scale of Pay</td></tr>
<tr><td>Name of Pay band</td><td>Corresponding Pay band (Rs.)</td><td>Corresponding Grade pay (Rs.)</td></tr>
<tr><td>Regional Inspector (Technical)</td><td>Pay Band 2</td><td>9300-34800</td><td>4600/-</td></tr>
</table>
</td><td>22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows:

<table>
<tr><td rowspan="2">Name of post</td><td colspan="2">Scale of Pay</td></tr>
<tr><td>Pay matrix level</td><td>Pay Scale (Rs.)</td></tr>
<tr><td>Motor Vehicle Inspector</td><td>Level 7</td><td>9300-34800</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

By Order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।